

02  
29/24

वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी वंचनी  
उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति कारण कोर्ट कार्रवाई  
में प्रभाव नहीं हुआ। फल: बार-बार आवान

लजनाके बाके। इनकी लगन से जन्म परिवार  
में उपस्थित नहीं। फलतः यह वादपत्र जन्म  
पैरवी फलतः हाफडी से लानेज किया जाता है।

पत्रावली निष्पत्ति में शुभार की जाकर  
जन्म से कम ही तन्ना तरीक तकमिल होकर  
दाखिल करार हो।

उपखण्ड अधिकारी

तारानगर (यू.ए.)